राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
क्रमांक एफ 13(1)WE/WSHGI/मोबाइल हैंडसेट/पार्टफाइल/09–10 दिनांक 22/10/09
41693-725

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

विषय–स्वयं सहायता समूहों को मोबाइल हैंडसेट वितरण किये जाने के क्रम में।

जैसा कि आपको विदित है विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों को निर्धारित नार्म्स की पात्रता के आधार पर मोबाइल हैंडसेट वितरण किये जाने है। इस हेतु निदेशालय द्वारा समस्त जिलों से इस योजना हेतु पात्र स्वयं सहायता समूहों की सूची मांगी जाकर तद्नुसार बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराये गये उपभोक्ता आवेदन फार्म (CAF) आवश्यक पूर्ति उपरांत निदेशालय को भिजवाने हेतु आपको लिखा जा चुका था।

अत्यंत खेद का विषय है कि निदेशालय द्वारा इस संबंध में समय–समय पर लिखे जाने एवं दूरभाष द्वारा सूचित किये जाने के उपरांत भी अधिकांश जिलों से या तो उपभोक्ता आवेदन फार्म (CAF) प्राप्त नहीं हुए या फिर निर्धारित संख्या में फार्म नहीं भिजवाये गये हैं।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि यदि आपने उक्त उपभोक्ता आवेदन फार्म (CAF) विभाग को नहीं भिजवाये गये हैं तो उन्हें संबंधित समूहों से आवश्यक पूर्ति करवायी जाकर अविलंब मय निर्धारित प्रपत्र अनुसार सूची के निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि पात्र समूहों के उपभोक्ता आवेदन फार्म (CAF) आप द्वारा निदेशालय को भिजवाये जा चुके है तथा इसके उपरांत भी पात्र समूह शेष रह गये हो तो उनके उपभोक्ता आवेदन फार्म (CAF) भी संबंधित समूहों से पूर्ति कराकर दिनांक 28.10.08 तक विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर